



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062021-227743
CG-DL-E-21062021-227743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2234]
No. 2234]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का.आ. 2406(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1874 (अ), तारीख 9 जून, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 12 जून, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर में उत्तर अक्षांश 33030' एवं 33042' और पूर्व देशांतर 74033' एवं 74043' के बीच स्थित है। हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य का नाम हिरपोरा ग्राम से लिया गया है, एक छोटा उप ग्राम जो संरक्षित क्षेत्र के उत्तर पूर्वी बाहर की तरफ स्थित है और यह इसका प्रवेशद्वार बनाता है। अभयारण्य पीर पंजल पर्वत के तरंग में भू-भाग में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 341.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।

अभयारण्य 12 किलोमीटर दूरी में जिला मुख्यालय के साथ कश्मीर घाटी के शूपियां जिला के अंतर्गत आता है। निकटतम एयरपोर्ट, श्रीनगर 70 किलोमीटर में है और निकटतम रेलहेड, ककपोरा 40 किलोमीटर में है;

और, अभयारण्य सरकारी अधिसूचना संख्या एफएसटी/वन्यजीव/अभयारण्य/हिरपोरा/87 (एस.आर.ओ.-153), तारीख 19 मार्च, 1987 के माध्य में अस्तित्व में आया। जबकि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण विभाग के संगठनात्मक स्वरूप की स्थापना को तैयार करते हुए उसके 1991 के आदेश संख्या 128-एफ.एस.टी. तारीख 13 मई, 1991 के माध्य से पुनः हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना अधिसूचित की गई। बाद में, सरकार ने का.नि.आ. 424, के अधीन जारी अधिसूचना और संख्या एफएसटी/वन्यजीव/71/2007, तारीख 18 दिसम्बर, 2007 के अधीन पृष्ठांकन के माध्यम से, अभयारण्य का क्षेत्रफल 341.25 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया;

और, हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित पर्वत श्रेणी पीरपंजल श्रेणी का भाग है। स्थलाकृति चट्टानी चट्टानों द्वारा टूटी हुई ढाल के लिए मध्यम से ढलान के साथ पहाड़ी है। पश्चिमी और दक्षिणी भाग खड़े हैं जबकि पूर्वी पर्वत श्रेणी मध्य से अधिक ढलान वाली है। जलमार्ग और कई छोटी पहाड़ी अपवाहिका या नाली द्वारा तरंगमय, आर-पार भू-भाग है। समुद्रतल से ऊपर ऊंचाई 2557 से 4745 मीटर तक विस्तृत है;

और, हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति के विभिन्न प्रकार हैं जो विभिन्न भौतिक और जैविक कारकों जैसे ऊंचाई, पहलू, वास स्थिति और सभी जैविक अंतःक्षेप) इंटरफेयरेंस (के प्रभाव और नियंत्रण के अधीन निर्मित हैं। नदी जोन (2300 मीटर से नीचे) में प्रमुख बृहत-पत्ते पौधे प्रजातियां *एस्कुलस इंडिका* और *जगलैस रेगिया* संबंधित *मॉरुस अल्बा*, *रॉबिनिया स्यूडोसेकिया*, *रहस स्यूकेडेनिया*, *केल्टिस ऑस्ट्रालिस*, *उलमस विलोसा*, *पाँपुलस सिलियाटा*, *सैलिक्स कैप्रिया*, आदि हैं। प्रमुख झाड़ियां *विबर्नम कॉन्टिफोलियम*, *बर्बेरिस लिसेयुम*, *पैरोटीओपिस जेकमोंटियाना*, *सोरबारिया टोमेंटोसा*, आदि हैं। स्लीवर देवदार और ब्लू पाइन वनों की प्रमुख उप-अल्पाइन (2300मीटर-3000मीटर) वनस्पति है। प्रमुख प्रजातियों जिसमें *पिनस ग्रिफिथी* संबंधित *रोजा ब्रूनोनी*, *एबिस पिंड्रो*, *बेतुला यूटिलिस*, *पिका स्मिथियाना* और *उल्मस वालिसियाना*, आदि शामिल हैं। अन्य प्रमुख झाड़ी प्रजातियों में *इंडिगोफेरा हेटेरांथा*, *टैक्सेस वैलिसियाना*, और *इसोडो रुगोसस*, आदि शामिल हैं। ब्रिच द्वारा प्रमुख अल्पाइन झाड़ी *बेटुलौटिलिस* संबंधित *होडोडेंड्रोन कॉम्पैनुलैटम* और *जुनीपेरस एसपीपी* और प्रमुख अल्पाइन चारागाह *फ्रिटिलैरिया एसपीपी* और *पॉलीगोनम एसपीपी* आदि है। ब्रिच द्वारा प्रमुख अल्पाइन (3000-3500मीटर) वनस्पति *बेटुला यूटिलिस* संबंधित *होडोडेंड्रोन कॉम्पैनुलैटम* एवं *जुनीपेरस एसपीपी* और प्रमुख अल्पाइन चारागाह *फ्रिटिलैरिया एसपीपी* एवं *पॉलीगोनम एसपीपी* हैं। डिकोटायलेडोनोअस जड़ी-बूटियों जैसे *रुमेक्स पैटिएंटिया*, *कोरिडैलिस एसपीपी*, *प्रीमुला एसपीपी*, *पेडीकुलैरिस एसपीपी*, *एनेमोले एसपीपी* आदि के अंतर्गत भूमि आच्छादित है। छोटी सदाबहार झाड़ियों द्वारा प्रमुख चट्टान अग्र-भाग (3500मीटर से ऊपर) चट्टानी खड़ी चट्टान और ऊपरी पहाड़ी है जिसमें *जुनीपेरस रेकुरवा*, *होडोडेंड्रोन एन्थोपोगोन* आदि संबंधित जड़ी-बूटी *स्टैचिस सेरीसिया*, *गयूम इलाटम* और *वेरोनिका मेलिसाफोलिया* आदि शामिल हैं;

और, हिरपोरा वन अच्छे औषधीय मूल्य के अनेक पौधे प्रजातियों के साथ भी समृद्ध हैं। क्षेत्र में उगने वाले कुछ औषधीय पौधों में *एकोनिटम हेट्रोफिलम*, *अर्नबिया बेंथामी*, *आर्टेमिसिया एबसीथियम*, *बर्बेरिस लिसेयुम*, *बर्गोनिया सिलियाटा*, *धतूरा स्ट्रैमोनियम*, *डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया*, *लवटेरा कैशमेरियाना*, *सोसुरिया कोस्टस* और *टैक्सस वालिसियाना* शामिल हैं;

और, हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य व्यापक वनस्पतिक आच्छादित करता है जो कि स्तनधारियों और अन्य जीवजंतु प्रजातियों को आदर्श वास प्रदान करता है। अभयारण्य से प्रमुख स्तनधारी कश्मीर माखौर, (कैपरा फाल्कोनेरी), हिमालयन कस्तूरी मृग (मॉस्कस क्यूप्रियस), एशियाई काला भालू (उर्सस थिबेटनस), हिमालयन भूरा भालू (उर्सस आर्कटोस), सामान्य तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), सामान्य लंगूर (सेन्नोपिथेकस एंटेल्स), रीसस मकाक (मकाका मुलाटा), तेंदुआ बिल्ली (प्रियोनेलुरुस बेंगालेंसिस), जंगल बिल्ली (फेलिस चाउस), पीला-श्रोटेड मार्टेन, (मार्टेस फ्लैविगुला), हिमालयन पाम सिवेट (पगुमा लारवाता), तिब्बती भेड़िया (कैनिस हिमालायेंसिस), आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य कई प्रवासी और आवासीय पक्षियों जिसमें गिद्ध, रैप्टोरस और गौरैया की प्रजातियां शामिल हैं, के लिए वास है। अभयारण्य में प्रमुख प्रजातियां ब्लैक इयर्ड काइट (मिल्वस माइग्रेंस), हिमालयन ग्रिफन गिद्ध (जिप्स हेमालायन्सिस), इजिप्टियन गिद्ध (निओप्रॉन पर्कनोप्टेरस), बियर्डेड गिद्ध (जिपटस बारबेटस), यूरोशियन ग्रिफॉन (जिप्स फुल्वस), मोनल तीतर (लोफोफोरस इमपेजैनस), हिमालयन स्नो मुर्गा (टेट्रागैलस हिमालयांसिस), चुकर पार्ट्रिज (अलेक्टोरिस चाकुर), कोक्लास तीतर (पुकारसिया मैक्रोलोफा), ब्लू रॉक कबूतर (कोलंबा लिविया), ओरिएंटल कछुआ कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया ओरिएंटालिस), यूरोशियन कॉलारड डव (एस. डिकोटा), यूरोशियन कोयल (कुकुलूस कैनरस टेलीफोन), अल्पाइन स्विफ्ट (एपस मेल्बा मेल्बा) यूरोपियन रोलर (क्रोसियासगैसरुलूस सेमेनवी), कॉमन हूपो (अपोपा एपोप्स), कश्मीर फ्लाईकैचर (फिक्की सुब्रवरा), स्ट्रीकड लाफिंग थ्रश (ट्रोक्रालोप्टेरम लिनैक्टम), रॉक बंटिंग (एम्बरिजा सिया), आदि पाए जाते हैं;

और, अभयारण्य में कुछ दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों जैसे मारखोर (संकटापन्न के निकट), कश्मीर कस्तूरी मृग (लुप्तप्राय), सामान्य तेंदुआ (वलनेरेबल), हिमालयन ग्रिफन गिद्ध (संकटापन्न के निकट), बियरडेड गिद्ध (संकटापन्न के निकट), कश्मीर फ्लाईकैचर (वलनेरेबल) के लिए भी वास प्रदान करता है। अतः, अभयारण्य पारिस्थितिकी और जैव विविधता दृष्टिकोण से समृद्ध हैं;

और, हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है (की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा) 2 (के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर राज्य के शुपियां जिले के हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी-संवेदी जोन) जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है (के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 120.56 वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:

दिशा	विस्तार (किलोमीटर)
उत्तर	01
उत्तर-पूर्व	0.5
पूर्व	01
दक्षिण-पूर्व	01
दक्षिण	01
दक्षिण-पश्चिम	01

पश्चिम	01
उत्तर-पश्चिम	00

हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन शून्य से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है। हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर-पश्चिमी सीमा (बिंदु ए8 से ए9 तक) की ओर शून्य रखा गया है क्योंकि यह क्षेत्र टाटा कुट्टी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा को छूता है।

- (2) हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध- IIक, उपाबंध- IIख, उपाबंध- IIग और उपाबंध- IIघ के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (x) नगरपालिका;
- (xi) पंचायती राज; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- संघ राज्यक्षेत्र की सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना संघ राज्यक्षेत्र की सरकार पर्यटन विभाग द्वारा संघ राज्यक्षेत्र की सरकार पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हों, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम (अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार

के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.**- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.**- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:

		परंतु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के विद्युत जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के विद्युत जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

	दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	
23.	फार्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	होटलों और लॉज के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
31.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि / वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

42.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
-----	-----------------------	----------------------------------

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

1.	कलेक्टर या उपायुक्त, शुपियां	अध्यक्ष, पदेन; □
2.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
3.	संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नामित वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
5.	प्रभागीय वनाधिकारी, शुपियां	सदस्य;
6.	जम्मू और कश्मीर जैव विविधता बोर्ड / परिषद से एक विशेषज्ञ	सदस्य;
7.	वन्यजीव वार्डन, शुपियां	सदस्य -सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/06/2019-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

क. जम्मू और कश्मीर में हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण


क्र. सं.	प्रमुख बिन्दु	दिशा	अक्षांश	देशांतर
1	रेज, पीर पंजल पास	उत्तर	33 ° 41' 27.322"उ	74 ° 38' 45.537"पू
2	रेज, धेलीमार्ग	उत्तर-पश्चिम	33 ° 39' 36.702"उ	74 ° 31' 57.250"पू
3	रेज	पश्चिम	33 ° 35' 58.926"उ	74 ° 30' 54.931"पू
4	लक्षुख सार के पास रेज	दक्षिण-पश्चिम	33 ° 31' 48.422"उ	74 ° 32' 27.993"पू
5	रेज, रुपरी गली	दक्षिण	33 ° 29' 54.870"उ	74 ° 36' 35.159"पू
6	रेज, परासिंग	दक्षिण-पूर्व	33 ° 31' 39.415"उ	74 ° 42' 30.422"पू
7	रेज	पूर्व	33 ° 35' 18.734"उ	74 ° 42' 53.217"पू
8	दुबजन सड़क	उत्तर-पूर्व	33 ° 40' 21.787"उ	74 ° 43' 35.692"पू

ख. हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क्र. सं.	सीमा विवरण	दिशा	अक्षांश	देशांतर
1.	वन क्षेत्र शिपकोर	उत्तर	33 ° 42' 6.128"उ	74 ° 38'49.328"पू
2.	टाटा कुट्टी वन्यजीव अभयारण्य	उत्तर-पश्चिम	33° 40' 52.373"उ	74 ° 32'25.679"पू
3.	पीर पंजल वन	पश्चिम	33 ° 37'30.798"उ	74 ° 30'31.604"पू
4.	अल्पाइन ग्लेसियर	दक्षिण-पश्चिम	33 ° 32'35.127"उ	74 ° 31'13.165"पू
5.	अल्पाइन ग्लेसियर	दक्षिण	33° 29' 26.332"उ	74 ° 37' 3.695"पू
6.	अल्पाइन ग्लेसियर	दक्षिण-पूर्व	33 ° 30' 5.424"उ	74 ° 41'24.533"पू
7.	अल्पाइन वन	पूर्व	33 ° 35' 9.572"उ	74 ° 43'30.424"पू
8.	ज्वुरा वन	नाला की तरफ	33° 41' 3.083"उ	74 ° 42'17.127"पू
9.	वन क्षेत्र	हिरपोरा ग्राम की तरफ	33° 40' 16.631"उ	74 ° 44'18.620"पू


उपाबंध-IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र




उपाबंध-IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

नाम	अक्षांश	देशांतर	दिशा	विवरण
एच1	33° 41' 27.322" उ	74° 38' 45.537" पू	उत्तर	रेज पीरपंजल पास
एच7	33° 39' 36.702" उ	74° 31' 57.250" पू	उत्तर-पश्चिम	रेज धेललीमार्ग
एच 6	33° 35' 58.926" उ	74° 30' 54.931" पू	पश्चिम	रेज
एच 5	33° 31' 48.422" उ	74° 32' 27.993" पू	दक्षिण-पश्चिम	लक्षुख सार के पास रेज
एच 5	33° 29' 54.870" उ	74° 36' 35.159" पू	दक्षिण	रेज रुपरी गली
एच 4	33° 31' 39.415" उ	74° 42' 30.422" पू	दक्षिण-पूर्व	रेज परासिंग
एच 3	33° 35' 18.734" उ	74° 42' 53.217" पू	पूर्व	रेज
एच 2	33° 40' 21.787" उ	74° 43' 35.629" पू	उत्तरपूर्व	दुबन सड़क

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

नाम	अक्षांश	देशांतर	दिशा	विवरण	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी (मीटर में)
ए1	33° 42' 6.128" उ	74° 38' 49.328" पू	उत्तर	वन क्षेत्र शिपकोर,	1000
ए9	33° 40' 52.373" उ	74° 32' 25.679" पू	उत्तर-पश्चिम	टुटी कुटी वन्यजीव अभयारण्य	0
ए8	33° 37' 30.798" उ	74° 30' 31.604" पू	पश्चिम	पीरपंजल वन	1000
ए7	33° 32' 35.127" उ	74° 31' 13.165" पू	दक्षिण-पश्चिम	अल्पाइन ग्लेसियर	1000
ए6	33° 29' 26.332" उ	74° 37' 3.695" पू	दक्षिण	अल्पाइन ग्लेसियर	1000
ए5	33° 30' 5.424" उ	74° 41' 24.533" पू	दक्षिण-पूर्व	अल्पाइन चारागाह	1000
ए4	33° 35' 9.572" उ	74° 43' 30.424" पू	पूर्व	अल्पाइन वन	1000
ए2	33° 41' 3.083" उ	74° 42' 17.127" पू	नाला की तरफ	ज़वुरा वन	500
ए3	33° 40' 16.631" उ	74° 44' 18.620" पू	हिपोरा ग्राम की तरफ	वन क्षेत्र	1000

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	हिरपोरा ग्राम	शुपियां	33° 40' 30" उ	74° 43' 31" पू

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S.O. 2406(E).—In WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1874 (E), dated the 9th June, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12th June, 2020;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, Hirpora Wildlife Sanctuary lies between 33⁰30' & 33⁰42' North latitude and 74⁰33' & 74⁰43' East longitude located about 70 kilometers South of Srinagar city. Hirpora Wildlife Sanctuary gets its name from the Village Hirpora, a small hamlet that lies on the North-Eastern out skirts of the protected area and forms its gateway. The Sanctuary spread over the undulating terrain of the Pir Panjal Mountains encompasses an area of around 341.25 square kilometers. The Sanctuary falls in the Shopian District of the Kashmir Valley with the District Headquarter at a distance of 12 kilometers. The nearest airport, Srinagar is 70 kilometers and the nearest railhead, Kakpora is 40 kilometers away;

AND WHEREAS, the Sanctuary came into existence through Government notification No. FST/WL/San/Hirpora/87 (S.R.O.-153), dated the 19th March, 1987. While framing the organizational set up of the Department of Wildlife Protection, the Government of Jammu and Kashmir *vide* its order No. 128-F.S.T. of 1991 dated the 13th May, 1991, again notified the establishment of Hirpora Wildlife Sanctuary. Later, the government through a notification issued under S.R.O. 424, and endorsed under No. FST/WL/71/2007, dated the 18th December, 2007, extended the area of the sanctuary to 341.25 square kilometers;

AND WHEREAS, the mountains range encompassing the Hirpora Wildlife Sanctuary are a part of the Pirpanjal Range. The topography is mountainous with slopes of moderate to steep gradient broken by rocky cliffs. The western and southern sides are steep while as the eastern mountainous ridge is more gentle to moderate slope. The terrain is undulated, criss-crossed by gullies and numerous smaller mountain drains or *nars*. The altitude varies from 2557 to 4745 meters above sea level;

AND WHEREAS, Hirpora Wildlife Sanctuary has different types of vegetation which formed under the influence and control of various physical and biological factors like altitude, aspect, habitat conditions and above all biotic interference. The dominating broad-leaved plant species in the riverine (below 2300m) zone are *Asculus indica* and *Juglans regia* associated with *Morus alba*, *Robinia pseudoacacia*, *Rhus succedanea*, *Celtis australis*, *Ulmus villosa*, *Populus ciliata*, *Salix caprea*, etc. The dominating shrubs are *Viburnum continifolium*, *Berberis lyceum*, *Parrotiopsis jacquemontiana*, *Sorbaria tomentosa*, etc. The sliver fir and blue pine forests are the dominating sub-alpine (2300m-3000m) vegetation. The dominant species includes *Pinus griffithi* associated with *Rosa brunonii*, *Abies pindrow*, *Betula utilis*, *Picea smithiana* and *Ulmus walliciana*, etc. Other dominants shrub species include *Indigofera heterantha*, *Taxus walliciana* and *Isodo nrugosus*, etc. The alpine scrub lands was dominated by Birch

(*Betula utilis*) associated with *Rhododendron companulatum* and *Juniperus* spp. and the alpine pastures is dominated by *Fritillaria* spp. and *Polygonum* spp. etc. The alpine (3000-3500m) vegetation is dominated by Birch (*Betula utilis*), associated with *Rhododendron companulatum* and *Juniperus* spp. and the alpine pastures, dominated by *Fritillaria* spp. and *Polygonum* spp. The ground cover comprises of the dicotyledonous herbs like *Rumex patientia*, *Corydalis* spp. *Primula* spp, *Pedicularis* spp, *Anemone* spp. etc. Rock faces (above 3500m) the rocky cliffs and hill tops are dominated by dwarf evergreen shrubs including *Juniperus recurva*, *Rhododendron anthopogon*, etc. associated with herbs, *Stachys sericea*, *Geum elatum* and *Veronica melissaefolia*, etc;

AND WHEREAS, the Hirpora forests also blessed with numerous plant species of great medicinal value. Some medicinal plants growing in the area include *Aconitum heterophyllum*, *Arnebia benthamii*, *Artemisia absinthium*, *Berberis lyceum*, *Bergenia ciliata*, *Datura stramonium*, *Dioscorea deltoidea*, *Lavatera cashmeriana*, *Saussurea costus* and *Taxus walliciana*;

AND WHEREAS, Hirpora Wildlife Sanctuary has vast vegetative covers which provides an ideal habitat for mammal and other faunal species. The dominating mammals recorded from the Sanctuary are Kashmir markhor (*Capra falconeri*), Himalayan musk deer (*Moschus Cupreus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Himalayan brown bear (*Ursus arctos*), common leopard (*Panthera pardus*), common langur (*Semnopithecus entellus*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), jungle cat (*Felis chaus*), yellow-throated marten, (*Martes flavigula*), Himalayan palm civet (*Paguma larvata*), Tibetan wolf (*Canis himalayensis*), etc;

AND WHEREAS, the Hirpora Wildlife Sanctuary is home for many migratory and residents birds including species of vultures, raptors and passerines. The dominant species found in the Sanctuary are black eared kite (*Milvus migrans*), Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayensis*), Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*), bearded vulture (*Gypaetus barbatus*), Eurasian griffon (*Gyps fulvus*), monal pheasant (*Lophophorus impejanus*), Himalayan snow cock (*Tetra gallus himalayensis*), chukar partridge (*Alectoris chakur*), Koklash pheasant (*Pucrsia macrolopha*), blue rock pigeon (*Columba livia*), Oriental turtle dove (*Streptopelia orientalis*), Eurasian collared dove (*S. decaota*), Eurasian cuckoo (*Cuculus canorus telephones*), alpine swift (*Apus melba melba*), European roller (*Croci asgasrullus semenwi*), common hoopoe (*Upopa epops epops*), Kashmir flycatcher (*Ficidula subrubra*), streaked laughing thrush (*Trocr alopterum linnactum*), rock bunting (*Emberiza cia*), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary also provides habitat for the some rare, endangered and threatened species like markhor (near threatened), Kashmir musk deer (endangered), common leopard (vulnerable), Himalayan griffon vulture (near threatened), bearded vulture (near threatened), Kashmir flycatcher (vulnerable). Therefore, the Sanctuary is rich in ecologically and biodiversity perspective;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Hirpora Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.0 kilometre around the boundary of Hirpora Wildlife Sanctuary, in Shopian district in Jammu and Kashmir as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the

Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of **0 (zero) to 1.0 kilometre** around the boundary of Hirpora Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 120.56 square kilometres. The extent of Eco-sensitive Zone at different direction are given below:

Direction	Extent (kms)
North	01
North-East	0.5
East	01
South-East	01
South	01
South-West	01
West	01
North-West	00

The Eco-sensitive zone around Hirpora Wildlife Sanctuary varies from zero to 1.0 Kilometre. The Eco-sensitive zone of Hirpora Wildlife Sanctuary towards North-Western boundary (from point A8 to A9) has been kept zero as this stretch of area touches the limits of Tata Kutti Wildlife Sanctuary.

- (2) The boundary description of Hirpora Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Hirpora Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID**.
- (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Hirpora Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The Union territory shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of union territory.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:—
- Environment;
 - Forest and Wildlife;

- (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Pollution Control Board;
 - (x) Municipal;
 - (xi) Panchayati Raj; and
 - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the Union territory Government.**—The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—
- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union territory Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities, such as:—

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Union territory Department of Tourism in consultation with Union territory Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the Union territory Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**— Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in

the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980),

the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is

		<p>nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
11.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small-scale non-polluting industries.	<p>Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.</p>
13.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the Union territory Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union territory Act and the rules made thereunder.</p>
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.

18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Migratory graziers.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Collector or Deputy Commissioner, Shopian	Chairman, ex- officio;
2.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir	Member;
3.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Union territory Government	Member;
4.	Regional Officer, Jammu and Kashmir State Pollution Control Board	Member;
5.	Divisional Forest Officer, Shopian	Member;
6.	One expert from Jammu and Kashmir Biodiversity Board / Council	Member;
7.	Wildlife Warden, Shopian	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union territory Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per proforma appended at Annexure-V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.-The Central Government and the Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/06/2019-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF HIRPORA WILDLIFE SANCTUARY IN JAMMU AND KASHMIR


S. NO.	PROMINENT POINTS	DIRECTION	LATITUDE	LONGITUDE
1	Ridge, Pir Panjal Pass	North	33 ⁰ 41' 27.322''N	74 ⁰ 38' 45.537''E
2	Ridge, Dhelimarg	North-West	33 ⁰ 39' 36.702''N	74 ⁰ 31' 57.250''E
3	Ridge	West	33 ⁰ 35' 58.926''N	74 ⁰ 30' 54.931''E
4	Ridge near Laksukh Sar	South-West	33 ⁰ 31' 48.422''N	74 ⁰ 32' 27.993''E
5	Ridge, Rupri Gali	South	33 ⁰ 29' 54.870''N	74 ⁰ 36' 35.159''E
6	Ridge, Parasing	South-East	33 ⁰ 31' 39.415''N	74 ⁰ 42' 30.422''E
7	Ridge	East	33 ⁰ 35' 18.734''N	74 ⁰ 42' 53.217''E
8	Dubjan Road	North-East	33 ⁰ 40' 21.787''N	74 ⁰ 43' 35.692''E

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND HIRPORA WILDLIFE SANCTUARY

S. NO.	BOUNDARY DESCRIPTION	DIRECTION	LATITUDE	LONGITUDE
1.	Forest Area Shipkor	North	33° 42' 6.128''N	74° 38' 49.328''E
2.	Tata Kutti Wildlife Sanctuary	North-West	33° 40' 52.373''N	74° 32' 25.679''E
3.	Pir Panjal Forest	West	33° 37' 30.798''N	74° 30' 31.604''E
4.	Alpine Glacier	South-West	33° 32' 35.127''N	74° 31' 13.165''E
5.	Alpine Glacier	South	33° 29' 26.332''N	74° 37' 3.695''E
6.	Alpine Glacier	South-East	33° 30' 5.424''N	74° 41' 24.533''E
7.	Alpine Forest	East	33° 35' 9.572''N	74° 43' 30.424''E
8.	Zawoor Forest	Nallah Side	33° 41' 3.083''N	74° 42' 17.127''E
9.	Forest Area	Hirpora Village Side	33° 40' 16.631''N	74° 44' 18.620''E


ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF HIRPORA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF HIRPORA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF HIRPORA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

NAME	LATITUDE	LONGITUDE	DIRECTION	DESCRIPTION	DISTANCE FROM PA BOUNDARY (meters)
A1	33° 42' 6.128" N	74° 38' 49.328" E	North	Forest Area Shipkor,	1000
A9	33° 40' 52.373" N	74° 32' 25.679" E	North - West	Tuti Kuti WLS	0
A8	33° 37' 30.798" N	74° 30' 31.604" E	West	PirPanjal Forest	1000
A7	33° 32' 35.127" N	74° 31' 13.165" E	South - West	Alpine Glacier	1000
A6	33° 29' 26.332" N	74° 37' 3.695" E	South	Alpine Glacier	1000
A5	33° 30' 5.424" N	74° 41' 24.533" E	South - East	Alpine Pasture	1000
A4	33° 35' 9.572" N	74° 43' 30.424" E	East	Alpine Forest	1000
A2	33° 41' 3.083" N	74° 42' 17.127" E	Nallah Side	Zawoor Forest	500
A3	33° 40' 16.631" N	74° 44' 18.620" E	Hipora Village Side	Forest Area	1000

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGE FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF HIRPORA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S. NO.	NAME OF VILLAGE	DISTRICT	LATITUDE	LONGITUDE
1	Hirpora Village	Shopian	33° 40' 30" N	74° 43' 31" E

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.